श्री आदित्य कुमार दास,भा.प्र.से.,जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 25.11.2013 को आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आहूत संपन्न बैठक की कार्यवाही :-

कार्यवाही

उपस्थिति - पंजी के अनुसार।

2. जिला पदाधिकारी ने प्रथमतः बैठक में उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों की उपस्थिति की समीक्षा की । बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठाकुरगंज एवं अंचलाधिकारी, टेढागांछ अनुपस्थित थे। जिला पदाधिकारी द्वारा इसपर खेद प्रकट किया गया। जिला पदाधिकारी को बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुरगंज ने सूचना भेजवायी है कि वे अस्वस्थय रहने के कारण बैठक में सम्मिलत होने मे असमर्थ हैं, जबकि अंचलाधिकारी टेढागांछ द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में कोई भी सूचना या आवेदन प्राप्त नही है। जिला पदाधिकारी द्वारा अपर समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि अंचलाधिकारी टेढागांछ को महत्वपूर्ण बैठक में भाग नही लेने तथा अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 25.11.2013 का उनका वेतन स्थगित रखने तथा उनसे कारण- पृच्छा की कार्रवाई की जाय ।

- जिला पदाधिकारी के संज्ञान मे यह बात लायी गयी कि समन्वयक समिति की बैठक की कार्यवाही सहित राजस्व एवं विकास से संबंधित विभिन्न स्तरों से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों /निरीक्षण टिप्पणियों आदि की प्रतिलिपि अनुमंडल पदाधिकारी,किशनगंज को कई बार उपलब्ध नही करायी जाती है। जिला पदाधिकारी ने इस बिन्दु पर सख्त हिदायत दी कि भविष्य में स्थापित प्रकिया के अनुरूप प्रखंड /अंचल एवं अन्य स्तरों के प्रतिवेदन की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को अचूक रूप से उपलब्ध करायी गयी।

(अनु0-सभी संबंधित पदाधिकारी)

3. रोकड़-बही

जिला पदाधिकारी द्वारा समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अधिकांश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही का दैनिक संधारण नही किया जाता है। सभी प्र.वि.पदा. को एक सप्ताह पूर्व ही इस बात का निदेश दिया गया था कि रोकड़बही ससमय तैयार कर लेना चाहिए। ऐसा नही करना वित्तीय गबन के मामले की संभावना को प्रबल करता है। इस संबंध में अंतिम रूप से जिला पदाधिकारी द्वारा रोकड़बही अद्यतन तैयार कर लेने का निदेश प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , पोठिया तथा टेढागाछ को दिया गया। साथ ही कहा गया कि यदि रोकड़बही तैयार नही हुआ,एवं प्रतिस्थानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ आज ही रोकड़बही का प्रभार आदान प्रदान नही हुआ है, तो निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,किशनगंज उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर उपस्थिपित करेंगे ।यदि ऐसा नही हुआ, तो नये प्र.वि.पदा. को तुरन्त एक तरफा प्रभार ग्रहण करने का भी निदेश दिया गया।

(अनुपालनः-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/निदेशक,लेखा)

4. राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम :-

4.1 सर्वप्रथम इस विषय की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्रत्येक अंचल में लक्ष्य के विरूद्ध वसूली कम पायी गई। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारी को शत- प्रतिशत लगान वसूली करने का सख्त निदेश दिया गया । अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सरकार/राजस्व विभाग, बिहार पटना के निदेशानुसार 100% प्रतिशत राजस्व वसूली का निदेश प्राप्त है, अतः जिस अंचल में राजस्व कमी पाई जायेगी , उस अंचल के अंचलाधिकारी के स्थानानंतरण हेतु सरकार को अनुशंसा की जायेगी पाया गया कि बहादुरगंज अंचल में राजस्व वसूली 15 % है ,जो लक्ष्य से बहुत कम है।

4.2 सैरात की वसूली :- अपर समाहर्त्ता ने बताया कि पिछली बैठक में स्पष्ट दिया गया था कि सैरात की वसूली की गई राशि को सभी अंचलाधिकारी सरकारी कोष में जमा कर दें। अपर समाहर्त्ता द्वारा इस बात पर खेद व्यक्त किया गया कि किसी भी अंचलाधिकारी द्वारा इस बिन्दु पर लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है । अपर समाहर्त्ता ने बताया कि बन्दोबस्तधारी सैरात उपयोग कर रहे है ,अथवा नहीं, इस आशय का भी प्रतिवेदन अंचल अधिकारी से अपेक्षित है। बताया गया कि सैरात संबंधी कई मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर है। सैरात की बन्दोवस्ती होने के उपरांत उपयोग में नहीं लाने के फलस्वरूप उसकी बन्दोवस्ती राशि को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेशानुसार लौटाने की नौबत आ गई है । जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि यह आवश्यक है कि बन्दोवस्तीधारियों को विधिवत समय परवाना मिल जाना चाहिए।

(अनुपालनः- सभी अंचलाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता किशनगंज)

4.3 सैरात परता घोषित :- जिला पदाधिकारी द्वारा सभी अंचल पदाधिकारी को आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार सैरात का परता घोषित कर संबंधित अभिलेख/संचिका उपसमाहर्त्ता भूमिसुधार को भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः- सभी अंचलाधिकारी/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता किशनगंज)

- जिला पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि अंचलों से महादलितों के वासरहित परिवारों का प्रतिवेदन गलत भेजा गया है। अपर समाहर्त्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब शत प्रतिशत महादलित आच्छादित हैं जैसा की प्रखंड विकास पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सरकार को प्रतिवेदित किया गया है कि महादलित कोई भी परिवार इंदिरा आवास के लिए शेष नहीं रह गया है, तो फिर किस स्थिति में अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार महादलित परिवार वासरहीत बाकी बताये जा रहा है । इस प्रकार यह प्रतिवेदन विरोधाभाषी प्रतीत होता है,एवं इसे दुरूस्त करना आवश्यक है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी आपस में समन्वय कर इस विसंगति का निराकरण करें,तथा परिशुद्ध आँकडे उपलब्ध करायें।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

4.4 **भूमि कम्पाइलेशन / कंप्यूटरीकरण कार्य :-**

- अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सभी अंचलाधिकारी को भूमि कम्पाइलेशन / कंप्यूटरीकरण कार्य पूर्ण कर लेने संबंधी प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया था, जो अबतक अप्राप्त है। साथ ही यह भी कहा गया कि जमीन से बेदखली के मामले मे, चाहे वह भूदान या भू- अर्जन की जमीन से संबंधित हो, का सर्वेक्षण कर सभी अंचलाधिकारी सर्वेक्षण पूर्ण होने का प्रतिवेदन देंगे कि कितने व्यक्ति दखल में है, तथा कितने बेदखल हैं। पाक्षिक स्थिति का प्रतिवेदन देने का भी निदेश दिया गया।
- जिला पदाधिकारी द्वारा विवादित जमीन का अंचल अमीन से नापी कराने ,तथा विवादित जमीन का प्रतिवेदन देने तथा हल्कावार निरीक्षण की तिथि निर्धारित कर राजस्व कर्मचारी से सर्वेक्षण कराकर उसका प्रतिवेदन देने हेतु सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया ।

(अनुलग्नक : सभी अंचलाधिकारी)

5. अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज ने बैठक मे इस बात की सूचना दी कि राशन कूपन के संदर्भ में निर्गत कूपन की तुलना में उपयोगिता कूपन अधिक प्राप्त हो रहे हैं, जो अनुचित तथा संदेहपरक बात है। उन्होंने निदेश दिया कि 30.11.2013 को उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारीयों की जो बैठक की जायेगी, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुमंडल पदाधिकारी ने उक्त बैठक में अधोलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन के साथ आने का निदेश दिया :-

- किसी भी योजना या विषयगत मामले के विशेष सर्वेक्षण की टिप्पणी का प्रतिवेदन।
- वासरहित परिवारों हेतु जमीन बंदोबस्ती का लक्ष्य तथा उनकी सूची, यानि 833 परिवार ,जो वासरहीत बताये जा रहे हैं, उसकी सूची।
- भूमि विवाद में मुखिया का प्रतिवेदन /सरपंच का न्याय प्रतिवेदन तथा भूधारी की सूची।
- 48(डी) का प्रतिवेदन।
- अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि जो राशन कूपन वापस आ रहा है, इसमे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ध्यान देने की आवश्यकता है। अवितरित कूपन 30-11-13 तक लौटाने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है।

6. **इंदिरा आवास योजना :-**

- इस योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि इंदिरा निर्माण के लिए भूमि नही है का क्या औचित्य है , जबकि 833 परिवारों का C.O ने वासरहित प्रतिवेदित किया है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जब सरकार को भेजे गये प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इंदिरा आवास के अभाव मे कोई परिवार वासरहीत नही रह गया है, तब फिर भूमि अनुपलब्ध रहने का कोई प्रश्न नही उठता है। उपसमाहर्त्ता भूमि सुधार ने इस बिन्दु पर स्पष्ट बताया कि ठाकुरगंज में 96 मुस्लिम परिवार को महादलित घोषित कर दिया गया है, जो गलत है।

- जिला पदाधिकारी ने यह भी बताया कि डी.एस.एल.आर द्वारा 833 में से 633परिवारों का आच्छादन कर दिया गया है। शेष 169 परिवारों का आच्छादन कर देने हेतु डी.एस.एल.आर को निदेश दिया गया।इस

महीने में जमीन खरीद कर 169परिवारों का आच्छादन कर देने हेतु डी.एस.एल.आर./ अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया।

- जिला पदाधिकारी द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुये सभी प्रकार के इंदिरा आवास संबंधी लंबित प्रतिवेदन एकसप्ताह के अंदर तैयार कर निश्चित रूप से भेज देने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी , अंचल पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

6. उप विकास आयुक्त, द्वारा अधोलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन शीघ्र देने का निदेश दिया गया :-

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से सामान्य एवं विशेष इंदिरा आवास का अद्यतन अप्राप्त प्रतिवेदन।
- इस मद में आवंटित राशि का व्यय प्रतिवेदन तथा उसका बैंक पासबुक से मिलान संबंधी प्रतिवेदन
- इस मद में अवशेष राशि का प्रतिवेदन।
- उप विकास आयुक्त, ने बताया कि उपरोक्त कार्यो मे मदद के लिये लेखा पदाधिकारी श्री दीपक गुप्ता , को टेढागांछ कोचाधामन बहादुरगंज , दिघलबैंक एवं वरीय लेखा पदाधिकारी श्री दीपक साह को पोठिया किशनगंज एवं ठाकुरगंज मे भेजा जा रहा है।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, को शौचालय का प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर देने का निदेश दिया गया। अवगत कराया गया कि पूरे जिले में 12905 शौचालय का लक्ष्य है।
- उप विकास आयुक्त ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी से इस योजना की मद की बची हुई (Unspent Amount) का प्रतिवेदन बार बार मांगा जा रहा है, परन्तु अबतक उन्होने नही दिया है। जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया कि पुराने इंदिरा आवास (वर्ष 2012-13 तक के) तथा नये इंदिरा आवास (वर्ष 2013-14) में कितनी राशि दी गई की विवरणी तैयार करें,तत्पश्चात् शेष कितनी राशि बचती है कि विवरणी तैयार करें। इसप्रकार प्रतिवेदन बनाकर देने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/डी.सी.एल.आर.)

7. जन शिकायत :-

- अपर समाहर्त्ता द्वारा जन शिकायत से संबंधित सभी तरह के मामलों का निपटारा 15 दिनों के अंदर करके अनुपालन प्रतिवेदन बनाकर भेज देने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनुलग्नक : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी)

8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-

- जिला पदाधिकारी ने निदेशित किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे सामान्य हो या विशेष, लाभुकों को हर हालत में 15 दिसम्बर , 2013 तक भुगतान कर कंप्युटर पर उसका फोटो भी अपलोड करना है। निदेशित किया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी उपलब्ध कराये गये प्रपत्र अनुसार पूर्ण डाटा ,फोटो सहित लोड करने के साथ साथ यदि राशि की जरूरत है, तो मांगपत्र भी तीन दिनों के अंदर भेजे, ताकि सरकार से भी राशि की मांग की जा सके एवं पत्र भेजा जा सकें।

(अनु0 : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

- अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि उनके द्वारा पत्र के माध्यम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से इन विषयों पर निदेश जा चुका है।
    - समाजिक सुरक्षा के छहः बिन्दु पर भौतिक एवं वित्त प्रतिवेदन
    - मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ की सूची सहित प्रतिवेदन देना है, जिसे दिनांक 30.11.13 की अनुमंडलीय बैठक मे साथ लेकर भाग लेने का निदेश दिया गया।

8.1 मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना :-

जिला पदाधिकारी ने कहा कि बड़ी राशि पंचायत सेवक को अग्रिम के तौर पर देकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, समझते है कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा आचरण गलत है। निदेश दिया गया कि प्रखंड मे कैम्प लगाकर इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट राशि का वितरण किया जाय। निदेशित किया गया कि प्र0वि0पदा0 पंचायतवार वितरण की तिथि निर्धारित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी को प्रखंडवार पंचायतवार कैम्प का आयोजन कर वितरण की तिथि निर्धारित कर सूचना पत्र निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुलग्नक : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी , अनुमंडल पदाधिकारी)

8.2 आई .सी.डी.एसः-(कन्या विवाह योजना)

- जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि कोचाधामन मे 14 लाख रूपये इस मद मे पड़े हुए है , जो काफी चिन्ता का विषय है। दियलबैंक मे 17 लाख 54 हजार रूपया बचा हुआ है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जिला प्रोग्राम कार्यालय,आई.सी.डी.एस. में भेजने का निदेश दिया गया। इस योजनान्तर्गत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ससमय कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(अनु0 : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

8.3 कबीर अंत्येष्टि योजना :-

- इस योजना की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि इस योजनान्तर्गत मृतकों के परिवार को 1500 रूपया दिया जाना है। मृतकों से संबंधित प्रतिवेदन पंचायत सचिव/मुखिया को देना है। इस मद की राशि व्यय होने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी पंचायत सेवक से संबंधित कर्मी को विधिवत भुगतान करने का दिशा निदेश भी समय समय पर प्रखंड में बुलाकर देना सुनिश्चित करेंगे। व्यय की गयी राशि का अभिश्रव एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत सचिव एवं संबधित कर्मी से प्राप्त कर जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुलग्नक : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ वरीय प्रभारी पदाधिकारी)

8.4 राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :-

- इस योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस योजनान्तर्गत 85 लाख रूपये आवंटित किये गये है। संबंधित जिला प्रभारी पदाधिकारी ने बताया लगभग 80 लाख रूपये खर्च किये जा चुके है। जिला पदाधिकारी द्वारा शेष 5 लाख रूपये 25 परिवारों को देने हेतु निदेश दिया गया।साथ

-ही उपयोगिता प्रमाण -पत्र भेजने का निदेश दिया गया, ताकि आगे राशि की मांग सरकार से किया जा सकें।

(अनु0 : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सहायक निदेशक,सामाजिक सुरक्षा)

9. सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना2011:-

- समीक्षा के क्रम में प्रखंडों में प्राप्त दावा/आपत्ति आवेदन एवं उनके निष्पादन प्रखंड विकास पदाधिकारीयों द्वारा निम्नप्रकार बताया गया :-
  - प्रखंड कोचाधामन में प्राप्त आवेदन की संख्या 20,465 है,19 EB से applications अप्राप्त है।
  - प्रखंड कोचाधामन में प्राप्त आवेदन 5361 में से 218 कंप्युटर में अपलोड हो गया है।
  - प्रखंड ठाकुरगंज मे आपरेटर नही है , आपरेटर देने का निर्णय लिया गया।
  - प्रखंड दिघलबैंक में प्राप्त आवेदन 3117 है. जिसे अपलोड नही किया गया है।
  - प्रखंड टेढागाछ मे प्राप्त आवेदन 614 है। सभी लोड हो गये हैं।
  - प्रखंड पोठिया में प्राप्त आवेदन 10,300 में 1000 का अपलोड हुआ है।
- जिला पदाधिकारी ने कहा कि जितनें भी आपत्ति पत्र आये है ;उन्हें तुरंत COTS पर डाल दिया जाय। निदेश दिया गया कि सभी वरीय उपसमाहर्ता भी इसपर ध्यान रखकर इसे सही करके रिर्पोट करेंगे। इसे आपरेटर द्वारा कंप्युटर में निश्चित रूप से अपलोड करवा देने का निदेश दिया गया।
- नगर पंचायत बहादुरगंज हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि तत्काल सभी प्रगणक से आपत्ति पत्र प्राप्त कर SECC कार्यालय को भेज दिया गया।

(अनुपालनः- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,सभी वरीय उपसमाहर्त्ता-सह-अभिहित पदाधिकारी)

10. 13 वी वित्त आयोग/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग/बी.आर.जी.एफ. :-

- उप विकास आयुक्त ने कहा कि यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इन योजनाओं हेतु प्राप्त राशि खर्च नही करते है , तो सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछकर सख्त कार्रवाई की जायेगी। मुखिया से व्यय प्रतिवेदन प्राप्त करना सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्य है। प्रतिवेदन मदवार /योजनावार, प्राप्त राशि एवं व्यय राशि एवं अवशेष राशि का एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया था, जो सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से अप्राप्त रहना एक गंभीर बात है।
- जिला पदाधिकारी द्वारा भी सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन दिनांक 26.11.13 तक देने का सख्त निदेश दिया गया। प्रतिवेदन मे 1.04.2013 को कितनी राशि थी , इसके बाद कितनी राशि मिली का जिक्र जरूर करें, तथा इसकी सूची डी.आर.डी.ए, के अलावा अनुमंडल पदाधिकारी को भी देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

11. माडा

- माडा योजनान्तर्गत 8 लाख 50 हजार शेष बची हुई राशि का व्यय करने हेतु कोई ठोस एवं लाभदायिक योजना तैयार करने पर निर्णय लिया जा सकें।
- जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि 38 प्रस्तावित सामुदयिक भवन निर्माण कार्य में से 10 हेतु की कार्यादेश निर्गत किया गया है। शेष 28 में प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है। इसकी सूची अनुमंडल

पदाधिकारी को देने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि सामुदायिक भवन योजना 4 लाख 50 हजार की है। कोचाधामन में दो सामुदायिक भवन निर्माण किया जा रहा है। टेढागाछ प्रखण्डान्तर्गत ग्राम चिल्हनिया एवं बैगना में निर्माण किये जाने की योजना है। ठाकुरगंज, किशनगंज एवं दिघलबैंक में इसका निर्माण किया गया है।

12.एम.एस.डी.पी. /मुख्य मंत्री जिला विकास योजना :-

- इस योजना की समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने बताया जिन-जिन प्रखंडों में मुख्यमंत्री जिला विकास योजनाचल रही है उसे प्रखंड विकास पदाधिकारी ठीक से नहीं कर पा रहे है। निदेश दिया गया कि सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी इसकी वर्षवार सूची बना लें। इस योजना अंतर्गत पूर्ण डाटाबेस तैयार करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राथिमकता आधारित निदेश दिया गया।
- उप विकास आयुक्त ने कहा कि कोचाधामन अंतर्गत मुख्यमंत्री जिला विकास की 13 योजनाऐं ऐसी है; जिसमे काफी अंतर पड रहा है। इस बिन्दु पर जॉच कर सही प्रतिवेदन भेजने हेतु तकनीकी पदाधिकारी/ प्र.वि. पदाधिकारी को सख्त हिदायत जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से दी गई।
- उप विकास आयुक्त ने बताया कि ठाकुरगंज प्रखंडान्तर्गत 219 आँगणबाड़ी केन्द्र,स्वीकृत के विरूद्ध 6 करोड 45लाख,32 हजार प्रशासनिक स्वीकृत राशि विमुक्त की गई, उसमे से ICDS के प्रतिवेदनानुसार 57 का कार्य पूर्ण बताया गया, जबकि MSDP के प्रतिवेदनानुसार 89 का निर्माण कार्य पूर्ण बताया गया है, जो विरोधाभाषी प्रतीत होता है। इन योजनाओं की स्थलीय जॉच कराने का अनुरोध किया गया। इसी परिदृश में अलग- अलग शीर्षवार दी गई स्वीकृति, विमुक्त राशि एवं कराये गये कार्य के अनुरूप ढर्ज मापी के आलोक में इनकी स्थलीय गहन जॉच की आवश्यकता के निमित कार्रवाई करने का निदेश उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया। साथ ही इसके लिए अलग से जॉच दलों का गठन कर जॉच अभियान चलाने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया। तदनुसार जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सहमति भी दी गयी।

13.कल्याण छात्रवृति :-

- जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि छात्रवृति के लिए दो प्रकार का आवेदन पत्र भरकर प्राप्त किये जाते है।एक प्रकार का आवेदन सामान्य छात्रवृति से संबंधित हैं, जबकि दूसरा टेकनिकल वाले छात्रों से आवेदन प्राप्त कर सीधे संबंधित विभाग , पटना को भेज दिया जाता है।

14.आर.टी.पी.एस. :-

- इसकी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने कहा इसके अंतर्गत प्राप्त मामले का तुरंन्त निष्पादित करवा लेना अनिवार्य है। सभी प्रखंड स्तरीय वरीय प्रभारी पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। आर. टी.पी.एस काउन्टर का उनके द्वारा औचक निरीक्षण भी कर लिया जाय, ताकि संदिग्ध व्यक्ति / दलाल / बिचौलिये पर कड़ी निगरानी रखी जाय, अथवा पकडे जाने पर ऐसे लोगो को चिनिहित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाय।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

15.निरीक्षण

- उच्च पदाधिकारियों द्वारा प्रखंडों का निरीक्षण/ प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुपालन :-
- उप विकास आयुक्त / जिला पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / अपर समाहर्त्ता एवं अन्य वरीय प्रभारी पदाधिकारी / उपसमाहर्ता द्वारा प्रखंडो /अंचलो के निरीक्षण के उपरान्त उनकी टिप्पणी के बिन्दुओं का अनुपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

16. सेवांत लाभ :-

- सेवानिवृत होनेवाले पदाधिकारी /कर्मचारी का सेवांत लाभ सेवानिवृति की तिथिके छः महीने पूर्व गणना करने हेतु सारी प्रकिया पूर्ण कर लेने को निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी को दिया गया।साथ ही निदेश दिया गया कि सेवानिवृत पदाधिकारी /कर्मचारी के सेवांत लाभ का भुगतान कर इसका प्रतिवेदन भेजे ताकि इसका समेकित प्रतिवेदन सरकार को भेजें, जासकें।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी)

17. निर्वाचन :-

➤ जिला पदाधिकारी ने कहा कि पंचायतों तथा नगर निकायों में जहाँ-जहाँ खाली पद है ;वहाँ फिर से निर्वाचन कराने का सरकार का निदेश है, जो सम्प्रति सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राप्त भी हो गया है।

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अधोलिखित निदेश दिये गये :-

- इस जिला में विधान सभावार चिन्हित एवं अनुमोदित केन्द्रों का भौतिक सत्यापन सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कर लिया जाय तथा संबंधित के द्वारा मतदान केन्द्रों को सफेदी करा ली जाय। मतदान केन्द्रों के पूर्ण विवरण भी अंकित किया जाय। हर मतदान केन्द्रों पर चापाकल रैम्प आदि का संधारण भी सुनिश्चित किया जाय।
- निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्य को चरणवार पूर्ण किया जाय। निर्वाचक सूची हर हालत में शत- प्रतिशत फोटो आच्छादित रहनी है ।शत्- प्रतिशत मतदाता पहचान पत्र वितरण का कार्य भी किया जाना है।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि दोनों पदाधिकरियों को अपने प्रखंड / अंचल मे मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करें तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी भौतिक सत्यापनोंपरांत फोटोग्राफ भी उपलब्ध करावें। सभी प्रतिवेदनों की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज को भी दी जाय।

18.स्नातक निर्वाचन /निर्वाचन

- जिला पदाधिकारी ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखण्डवार स्नातक निर्वाचन से संबंधित सभी वांछित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करायें ,ताकि इसे आयुक्त महोदय को भेजा जा सके।

(अनु0-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी)

19. अन्यान्य

- अपर समाहर्त्ता ने कहा कि माननीय न्यायालय से संबंधित वादों के लिए जो प्रपत्र दिया गया है उसी में अनुपालन प्रतिवेदन भेजे। आश्वासन समिति, निवेदन समिति, तारांकित / अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सामग्री तैयार कर अद्यतन प्रतिवेदन तैयार कर भेज देने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित को निदेश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

ह०/—

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।

ज्ञापांक 2334 /डी.आर.डी.ए., दिनांक 09/12/13

प्रतिलिपि :: जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :: अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं सभी सी.डी.पी.ओ. को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

9/12/13

(आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.)
जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।